छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

(अधिसूचना)

रायपुर दिनांक 3-6-2003
7-6-2003

कमांक एफ-14-2/03/(6) 11-(1).......................राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2001 से प्रभावी औद्योगिक नीति 2001–2006 के कियान्वयन हेतु औद्योगिक नीति में धोषित अनुदान सुविधाओं / रियायतों व नीति के अन्य बिन्दुओं के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार परिभाषाएँ लागू करता है ।

1– **लघु उद्योग इकाई :–**

लघु उधोग इकाई से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जो भारत शासन द्वारा समय समय पर जारी की गई लघु उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो तथा सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र धारित करती हो ।

2– **मध्यम / वृहद औद्योगिक इकाई :–**

मध्यम / वृहद औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जिसका पूंजी निवेश भारत शासन द्वारा समय–समय पर जारी लघु उद्योगो की परिभाषा में लघु उद्योगो हेतु निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक हो, तथा भारत शासन उद्योग मत्रांलय से आई.ई.एम. / औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जैसी स्थिति हो) प्राप्त हो एवम सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण–पत्र धारित करती हो ।

3– **वृहद परियोजना:–**

वृहद परियोजना से आशय ऐसी औद्योगिक परियोजना से है जिसमें स्थायी परिसम्पत्तियों में 1 नवम्बर 2001 के पश्चात् 100 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो तथा भारत शासन उद्योग मत्रांलय से आई.ई.एम / औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जैसी स्थिति हो) प्राप्त हो एवंम उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो ।

4– **नवीन औद्योगिक इकाई :–**

नवीन औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है :–

(1) जिसके द्वारा दिनांक 1–11–2001 को अथवा उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई पंजीयन प्रमाण–पत्र अथवा उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो।

(2) ऐसी औद्योगिक इकाई भी निम्न शर्तो के आधीन नवीन औद्योगिक इकाई कही जावेगी जो किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई के परिसर में स्थापित की गई हो।

क– औद्योगिक इकाई के लिए पृथक से फैक्ट्री लायसेंस / केन्द्रीय उत्पाद

शुल्क लायसेंस आदि जो भी आवश्यक हो तथा वाणिज्यिक कर अधिनियम, विक्रय कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम कें अधीन पृथक से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो व स्वतंत्र अस्तित्व हो

ख– औद्योगिक इकाई के लिए पृथक से भूमि की व्यवस्था कर भवन / शेड का निर्माण किया हो, नयी प्लांट तथा मशीनरी स्थापित की हो छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल से उस इकाई के लिए पृथक से विद्युत कनेक्शन या अतिरिक्त विद्युत लोड स्वीकृत कराया गया हो

ग– विद्यमान औद्योगिक इकाई में निर्मित होने वाले उत्पाद से भिन्न उत्पाद का निर्माण करती हो ।

घ– नवीन औद्योगिक इकाई के संबंध में पृथक से लेखा पुस्तकें रखी गई हों

ड़– बिन्दु 1 की शर्ते भी पूर्ण करती हो ।

(3) किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा दिनांक 01–11–2001को या उसके पश्चात् (रू0 100 करोड़) या इससे अधिक का स्थायी पूंजी निवेश, विस्तार / उत्पाद शवलीकरण की दृष्टि से यदि अपनी इकाई में किया जाये तो इस विस्तार / उत्पाद शवलीकरण को "नवीन उद्योग" मान्य किया जावेगा ।

5– <u>अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति :–</u>

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग में घोषित / सम्मिलित जाति।

6– अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित / स्थापित उद्योग :–

अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित/ स्थापित उद्योग से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो राज्य में शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति / जनजाति के उद्यमियों द्वारा, जो राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी से अनु0 जाति / अनु0 जनजाति का स्थाई प्रमाण–पत्र धारित करती हो स्थापित की जाये या स्थापित की जाना प्रस्तावित हो, भागीदारी फर्म होने की स्थिति में सभी भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्रायवेट लिमिटेड कंम्पनी होने की दशा में सभी अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य एवं फर्म एवं सोसायटी के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्यों का राज्य की अनुसूचित जाति / जनजाति की श्रेणी के होना तथा तदाशय का प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत स्थायी प्रमाण पत्र धारित करना आवश्यक होगा । इसके साथ ही लघु उद्योग इकाई / मध्यम वृहद उद्योग इकाई /वृहद परियोजना (जैसी भी स्थिति हो) की परिभाषा की शर्तो की पूर्ति भी करती हो ।

7– <u>स्थायी पूंजी निवेश :–</u>

स्थायी पूंजी निवेश से तात्पर्य है औद्योगिक इकाई द्वारा उद्योग के स्थापना स्थल पर स्थाई परिसम्पत्तियों में किये गये निवेश ।

8– स्थाई परिसम्मपत्तियां :–

स्थायी परिसम्मतियों से अभिप्रेत है औधोगिक इकाई के स्थापना स्थल पर निम्नानुसार मदो में निवेशित स्थायी पूंजी निवेश–

भूमि, भूमि विकास, भवन, प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर लिये गये प्लांट एवं मशीनरी सहित) विद्युत स्थापना, प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित संयत्र / उपकरण, प्रयोगशाला तथा अनुसंधान हेतु आवश्यक उपकरण, रेलवे साईडिंग पर किया गया व्यय (स्थापना स्थल व रेलवे साईडिंग तक किये गये परिवहन संस्थापना व बीमा व्यय सहित ।)व उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल व निर्मित उत्पाद एवं अन्य सामग्री के परिवहन हेतु कय किये गये ट्रक / डोजर पर किया गया निवेश ।

9– भूमि :–

भूमि से अभिप्रेत है औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु कय की गई (जितनी नियमानुसार आवश्यक हो) / लीज पर ली गई भूमि इस में सम्मिलित है– भूमि का वास्तविक मूल्य / प्रीमियम, भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की राश्ज्ञिं .

10– भवन :–

भवन से अभिप्रेत है कि औद्योगिक इकाई के स्थापना स्थल पर निर्मित फैक्ट्री भवन / शेड / प्रयोग शाला / अनुसंधान हेतु भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन, श्रमिक विश्राम गृह, साईकिल / स्कूटर स्टेण्ड सिक्युरिटी पोस्ट, कच्चे माल तथा निर्मित उत्पाद के भण्डारण हेतु निर्मित गोदाम तथा स्टोरेज टेंक के निर्माण पर किया गया वास्तविक व्यय ।

11– भूमि विकास :–

भूमि विकास के अन्तर्गत सम्मिलित है भूमि का समतलीकरण, गहराई करण, ड्रेनेज का निर्माण(भूमि एवं भवन पर मान्य स्थाई पूंजी निवेश का अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित) ।

12– लीज्ड प्लांट एवं मशीनरी एवं उपकरण :–

लीज्ड प्लांट एवं मशीनरी से अभिप्रेत है ऐसी प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण जो न्युनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए ली गयी हो व जिसका सीधा संबंध पंजीकृत उत्पाद के उत्पादन से हो– ऐसे प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण के मूल्य की गणना "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंटस ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा जारी एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड (ए.एस.) 19 लीजेस की प्रकिया एवं मापदण्ड" के अनुसार की जावेगी ।

13–. स्थाई पूंजी निवेश की गणना :–

स्थाई पूंजी निवेश की गणना निम्नानुसार होगी :–

क लघु उद्योग की दशा में स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से प्रारंभ कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से छः माह बाद तक की अवधि में किये गये स्थायी पूंजी निवेश तक सीमित ।

Scanned with OKEN Scanner

ख वृहद / मध्यम (रू.100 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश करने वाले)उद्योग की दशा में स्थल पर कार्य प्रारंभ करने से दिनांक से प्रारंभ कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से तीन वर्ष बाद तक की अवधि में किये गये स्थायी पूंजी निवेश तक सीमित ।

ग वृहद / मध्यम (रू. 100 करोड़ से अधिक स्थाई पूंजी निवेश करने वाले)उद्योग की दशा मे स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से प्रारंभ कर किन्तु वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष बाद तक की अवधि में किये गये स्थायी पूंजी निवेश तक सीमित ।

14– <u>वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :–</u>

वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से आशय है–

क लघु उद्योग होने पर औद्योगिक इकाई द्वारा प्रारंभ किये गये परीक्षण –उत्पादन से 30 दिवस बाद तक की तिथि अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक जो पूर्वोत्तर हो ।

ख वृहद एवं मध्यम उद्योग इकाई होने पर (रूपये 10 करोड तक स्थायी पुंजी निवेश वाली) औद्योगिक इकाई द्वारा परीक्षण (ट्रायल) उत्पादन दिनांक से 120 दिवस बाद तक की तिथि अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि जो पूर्वोतर हो ।

ग रूपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु 100 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई होने पर इकाई द्वारा परिक्षण (ट्रायल) उत्पादन दिनांक से 180 दिवस तक बाद की तिथि अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि जो पूर्वोत्तर हो ।

घ रूपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई होने पर इकाई द्वारा परीक्षण (ट्रायल) उत्पादन दिनांक से 270 दिवस बाद तक की तिथि अथवा उद्योग संचालनालय द्वारा जारी प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि जो पूर्वोत्तर हो ।

ड़ रू. 500 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई होने पर इकाई द्वारा परीक्षण (ट्रायल) उत्पादन दिनांक से एक वर्ष बाद तक की तिथि अथवा उद्योग संचालनालय द्वारा जारी प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि जो पूर्वोत्तर हो ।

च वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि के संबंध में कोई विवाद होने पर अन्तिम निर्णय राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का होगा ।

15– <u>परियोजना लागतः–</u>

परियोजना लागत से अभिप्रेत है किसी औद्योगिक इकाई में अथवा ऐसी परियोजना जिसे उद्योग का दर्जा दिया गया हो, में स्थायी परिसम्पत्तियों में किया गया निवेश (परियोजना लागत में कार्यशील पूंजी अथवा कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी को सम्मिलित नही किया जावेगा)

Scanned with OKEN Scanner

16— सावधि ऋण :—

सावधि ऋण से आशय है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित बैंक, / म0प्र0वित्त निगम / छत्तीसगढ स्टेट इन्डस्ट्रियल डव्हलपमेंट कापोरेशन लि0, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अखिल भारतीय वित्त संस्थान / जिला केन्द्रीय सहकारी बैक / नागरिक सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत व वितरित सावधि ऋण या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से भाड़ा कय योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गयी मशीनरी का भाडा कय मुल्य।

17— कार्यशील पूंजी:—

कार्यशील पूंजी से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित बैंक/ म0प्र0वित्त निगम / छत्तीसगढ स्टेट इन्डस्ट्रियल डव्हलपमेंट कापोरेशन लि0 / आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम / अखिल भारतीय वित्त संस्थान / जिला केन्द्रीय सहकारी बैक / नागरिक सहकारी बैंक द्वारा कार्यशील पूंजी के रूप में स्वीकृत व वितरित ऋण ।

18— परियोजना प्रतिवेदन :—

परियोजना प्रतिवेदन से अभिप्रेत है उद्योग या क्षेत्र विशेष से सबंधित विस्तृत प्रोजेक्ट रिर्पोट जिसमें संसाधनों, बाजार सर्वेक्षण, तकनीकी / आर्थिक वायबिल्टी / लोकेशन सर्वे / उत्पादन प्रकियाओं का चयन आदि का समावेश हो ।

19— औद्योगिक क्षेत्र:—

औद्योगिक क्षेत्र से अभिप्रेत है – राज्य में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्ध शहरी औद्योगिक संस्थान / ग्रामीण कर्मशाला, औधोगिक विकास केन्द्र, संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, राज्य शासन द्वारा स्वीकृत निजी क्षेत्र में स्थापित विभिन्न औद्योगिक पार्क, एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन के आधिपत्य में भूमि बैंक— राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीय डेव्हलपमेंट कारपोरेशन द्वारा संधारित औद्योगिक पार्क विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (1 नवम्बर 2001 से राज्य में स्थित सभी औद्योगिक संस्थान अर्द्धशहरी औद्योगिक संस्थान, ग्रामीण कर्मशाला को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जावेगा)

20— उद्योग विहीन विकास खण्ड :—

उद्योग विहीन विकास खण्ड से अभिप्रेत है राज्य का ऐसा विकास खण्ड जिसमे 1 नवम्बर 2001 की स्थिति में कोई मध्यम / वृहद श्रेणी का उद्योग कार्यरत न हो, या यदि कोई उद्योग स्थापित होकर बन्द हो गया हो तो इसके पुनः प्रारंभ होने की कोई संभावना न हो ।

Scanned with OKEN Scanner

सार्वजनिक क्षेत्र से आशय है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधीन गठित निगम / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन या समय–समय पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित किये जाने वाले निगम / कम्पनीज ।

22– अधोसंरचनात्मक लागत:–

अधोसंरचनात्मक लागत से अभिप्रेत है किसी औद्योगिक इकाई द्वारा नवीन अद्योग स्थापित करने हेतु निम्नांकित मदों पर किया गया व्यय / निवेश

अ– भूमि

ब– भूमि विकास

स– विद्युत–

1– विद्युत से आशय है नवीन औद्योगिक इकाई में उत्पादन प्रारंभ करने हेतु विद्युत संयोजन पर छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल को भुगतान की गई राशि (भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट, छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नही की जावेगी)

2– केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना यदि केवल स्वंय के उद्योग को विद्युत आपूर्ति हेतु की जाती है तो यह "विद्युत " के तहत मान्य किया जावेगा (इस हेतु छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा)

द– जल–

औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति हेतु किया गया निवेश / व्यय (सिक्यूरिटी व सबंधित विभागों के पुराने देयकों की राशि को छोडकर) यदि संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो ।

ई– पहुंचमार्ग–

औद्योगिक इकाई के फेक्ट्री स्थल के निकटवर्ती मार्ग से फेक्ट्री स्थल तक पहुंचने हेतु पहुंच मार्ग निर्माण पर किया गया व्यय यदि शासन के संबंधित विभागों / स्थानीय निकायों से अनुमति प्राप्त कर पहुंचमार्ग बनाया गया हो ।

फ– कर्मचारी आवास–

इकाई के फैक्ट्री परिसर में उत्पादन में लगे कर्मचारीयों / श्रमिकों के आवास हेतु बनाये गये कर्मचारी आवास, जिसमें कर्मचारी स्वंय / परिवार सहित रहवास करते हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे में इसका प्रावधान हो ।

23– सूचना प्रौधोगिकी इकाई :–

सूचना प्रौद्योगिकी इकाई से अभिप्रेत है ऐसी इकाई जो राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय–समय पर घोषित सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के अन्तर्गत आती हो ।सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर इकाई से अभिप्रेत है ऐसी इकाई जो राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय–समय पर घोषित " सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर इकाईयों " के अन्तर्गत आती हो ।

24– निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रः–

निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र से आशय है वर्तमान में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक नीति की कार्यावधि में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर व नगर निगम / नगर पालिका के बाहर अन्य क्षेत्र जिसकी भूमि का प्रयोजन औद्योगिक करवाया गया हो अथवा जिन्हें उद्योग विभाग या उनकी किसी एजेन्सी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भूमि उपलब्ध करायी गयी हो ।

25– तकनीकी प्रौन्नति :–

तकनीकी प्रौन्नति से आशय है स्थापित मशीनों में कुछ जोडकरं या स्थापित मशीनों के स्थान पर नवीन तकनीकी वाली वैसी ही मशीनों की स्थापना करना जिससे उत्पादन की किस्म में सुधार हो या उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो या निर्मित उत्पाद की लागत में कमी आये या अपेक्षकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता हो ।

26– मार्जिन मनी :–

मार्जिन मनी से तात्पर्य है किसी उद्योग की कुल परियोजना लागत में वित्तीय संस्था द्वारा उद्यमी / उद्योग से चाहा गया अंशदान ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमिताभ जैन)
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर

Scanned with OKEN Scanner